

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं० 23/23

दायरा दिनांक 20.07.2023

हरलाल पुत्र छप्पनलाल उम्र 65 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

1. मनोज पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०
2. राधेश्याम पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०
3. सतीश पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०
4. गुड्डी पुत्री जैलाल पत्नि नाथूलाल जाति किराड निवासी बेंटा हाल निवासी रातईखुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०
5. चईया पत्नि जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

अंतिम निर्णय

दिनांक 05.12.2025

ब हाजिरी

वादी की ओर से - श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से - श्री अजय अग्रवाल, श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

1. उपरोक्त उनवानी वाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2025 को स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी कि ग्राम धुरेरा तहसील शाहाबाद स्थित विवादित आराजी ख०नं० 33/288 रकबा 16.04 बीघा में से दर्ज जमाबंदी हिस्सा अनुसार वादी हिस्सा 1/2 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन कर तहसीलदार शाहाबाद विभाजन प्रस्ताव पेश करें।
2. प्राथमिक निर्णय/डिक्री दिनांक 16.09.2025 की पालना में तहसीलदार शाहाबाद द्वारा दिनांक 30.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जो निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनोज राधेश्याम सतीश पुत्र गुड्डी पुत्री चईया पत्नि जैलाल कोम किराड नि. बेंटा	33/288	8.02 बीघा	डांडा	

नामा.नं. 287 से जैलाल के वारिसान का हिस्सा रहन BRKGB शाखा शाहाबाद

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2	हरलाल पुत्र छप्पनलाल कोम किराड सा. बेंटा	33/288/1	8.02 बीघा	डांडा	

रहन BRKGB शाखा शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

3. उक्त विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
4. अतः तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम धुरेरा तहसील शाहाबाद की विवादित आराजी ख0नं0 33/288 रकबा 16.04 बीघा में से वादी हिस्सा 1/2 पूर्वी तरफ निर्धारित किया जाता है। इसी अनुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर नक्शा तरमीम किया जावे, वादी को उसके निर्धारित हिस्सा 1/2 पूर्वी पर दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी नहीं करेंगे, इस बावत प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपर्युक्त अधिकारी
उपर्युक्त अधिकारी
शाहाबाद
शाहाबाद

अंतिम-डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास - श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)हरलाल पुत्र छप्पनलाल उम्र 65 वर्ष जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद
जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

1. मनोज पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2. राधेश्याम पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3. सतीश पुत्र जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
4. गुड्डी पुत्री जैलाल पत्नि नाथूलाल जाति किराड निवासी बेंटा हाल निवासी रातईखुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
5. चईया पत्नि जैलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

राजस्व वाद सं. 23/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....

व हाजरी.....मिनजामिन मुददई रुबरू.....


मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम धुरेशा तहसील शाहाबाद की विवादित आराजी ख0नं0 33/288 रकबा 16.04 बीघा में से वादी हिस्सा 1/2 पूर्वी निर्धारित किया जाता है। इसी अनुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर नक्शा तरमीम किया जावे, वादी को उसके निर्धारित हिस्सा 1/2 पूर्वी पर दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेंगे, इस बावत प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

निजमुबलिग.....बावत.


खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकको अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.12.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	वैसे	मुद्दायलह
स्टाप्प अर्जीदावा स्टाप्प वकालतनामा स्टाप्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाप्प अर्जीदावा सटाप्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हेर दो फेरिकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 उपखण्ड न्यायाधीश
 साहिबगंज